IV - 50/12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 513411

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 05.12.2012 को पं0 रूपकिशोर, योगेन्द्र नाथ पाण्डेय मानव उत्थान एवं शिक्षा समिति जी0टी0 रोड रेलवे क्रासिंग भोगॉव, जनपद मैनपुरी उ0प्र0

1.	ट्रस्ट का नाम	:	पं0रूपकिशोर, योगेन्द्र नाथ पाण्डेय मानव उत्थान एवं शिक्षा समिति जी0टी0 रोड रेलवे क्रासिंग भोगॉव जिला मैंनपुरी
2.	ट्रस्ट के मुख्य कार्यालय का पता:		जी0टी0 रोड रेलवे क्रासिंग भोगॉव जनपद मैनपुरी।
3.	ट्रस्ट की शाखायें	:	प्रदेश व देश के अन्य भागों में भी स्थापित की जा सकती है।
4.	ट्रस्ट में लगाया गया धन	:	50,000–00 रूपये नकद धनराशि के रूप में श्री ब्रजेश पाण्डेय पुत्र के0एल0 पाण्डेय द्वारा ट्रस्ट को समर्पित किया गया।

क्रमशः– 2 पर

B.K. Pandey

CamScanner

7028 500/- 3-12-12

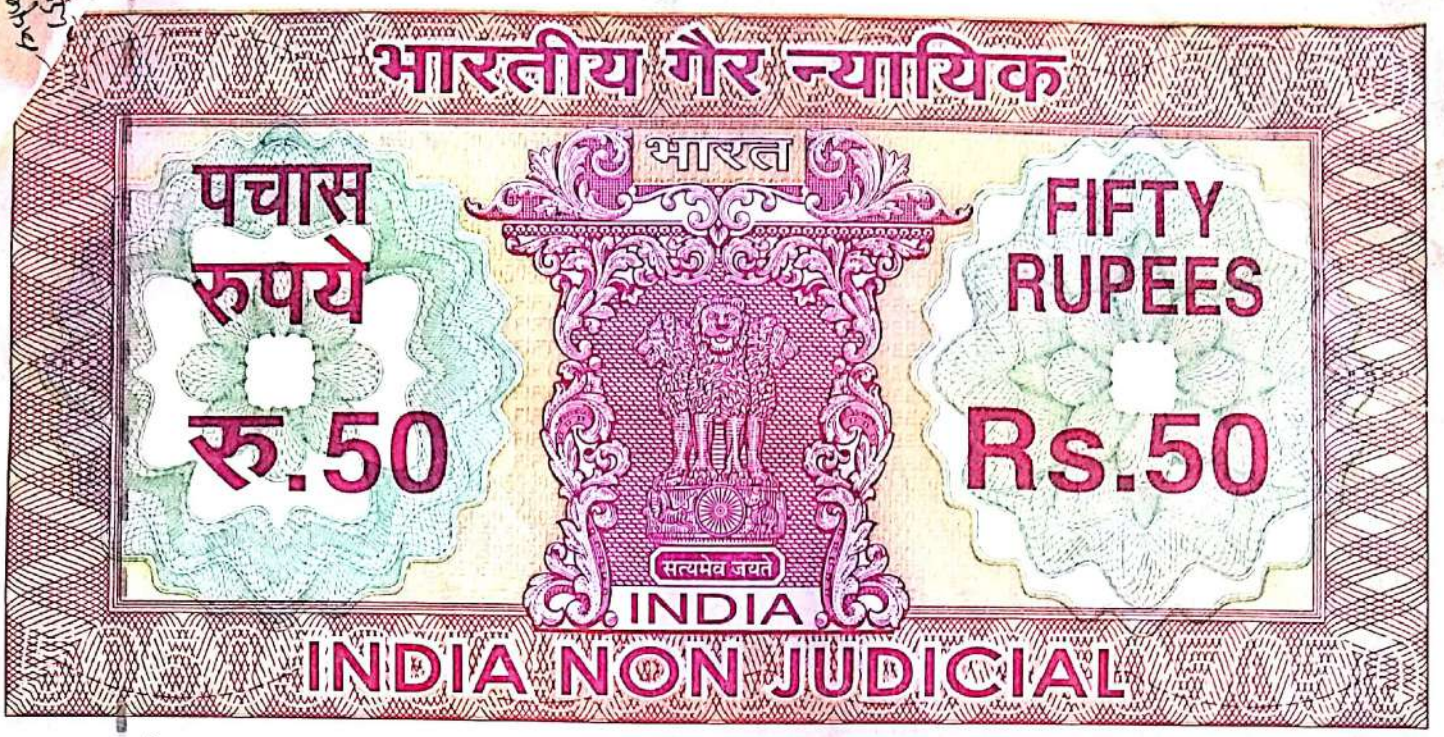
बृजेशकुमारपाण्डेय द्वारा ई०के० एलण्पाण्डेय

रेलवे का पिंग जीन्तीरोडभोगाव

5/12/12

बृजेश कुमार पाण्डेय इन्ट

B.K.Pandey



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 581931

5. **मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन** तत्वों पर आधारित है ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आवद्ध होता है, ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हिताधिकारियों का होना आवश्यक है। ट्रस्ट का रचेयता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आवद्ध करेगा।

इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितकारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होगें–

क्रमशः– 3 पर

B.K. Pandey



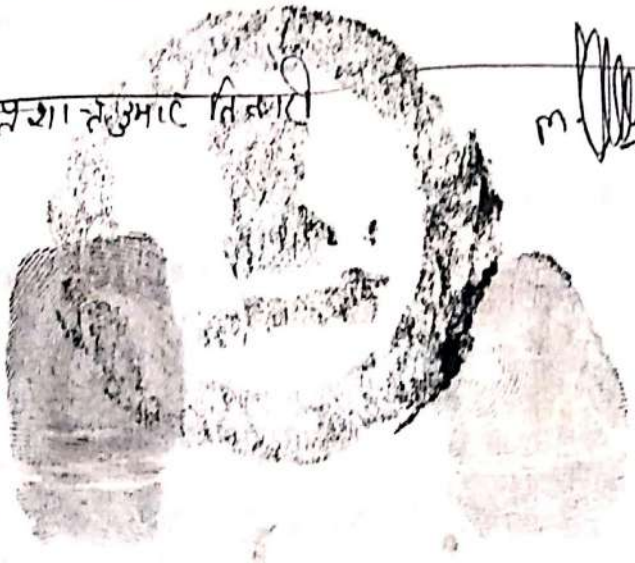
25 NOV 2012

जाकी पहिचान का प्रशांत तिवारी
पिता श्री उमेशचन्द्र तिवारी
निवासी रेलवे स्टेशन रोड शाहजहांपुर
जिला—
पति श्री राजेशपांडेय ससुराल पांडेय
निवासी उन्नाव जोधपुर दिल्ली
जिला—मैनपुरी

हस्ताक्षर

प्रशांत कुमार तिवारी

B.K. Pandey





अंगूठा एवं मनुष्य चिन्हित हुआ
वि० सं० नियमानुसार लिए
हस्ताक्षर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 513554

(3)

1. श्री हृदेश पाण्डेय पुत्र के0एल0 पाण्डेय निवासी जी0टी0 रोड रेलवे कासिंग भोगॉव, मैंनपुरी	अध्यक्ष	व्यापार
2. श्रीमती मीना पाण्डेय पुत्री श्री रामसेवक निवासी जी0टी0रोड रेलवे कासिंग भोगॉव, मैंनपुरी	उपाध्यक्ष	गृहणी
3. श्री बृजेश पाण्डेय पुत्र श्री के0एल0 पाण्डेय प्रबन्धक / सचिव / व्यापार निवासी जी0टी0रोड रेलवे कासिंग भोगॉव, मैंनपुरी	मुख्य ट्रस्टी	
4. श्रीमती अंजू पत्नी पंकज पाण्डेय निवासी जी0टी0रोड रेलवे कासिंग भोगॉव, मैंनपुरी	उपप्रबन्धक / उपसचिव	गृहणी
5. श्रीमती मनोरमा पाण्डेय पत्नी हृदेश पाण्डेय निवासी जी0टी0रोड रेलवे कासिंग भोगॉव, मैंनपुरी	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6. श्रीमती कंचन मिश्रा पत्नी आशीष मिश्रा निवासी मिश्रा मार्केट बेवर मैंनपुरी	सदस्य	गृहणी
7. श्री संतोष तिवारी पुत्र श्री भूरेलाल तिवारी निवासी ग्राम नरहौली पो0 हेबरा इटावा।	सदस्य	कृषि
8. श्री प्रेमनरायन अग्निहोत्री पुत्र श्री चन्द्रभान अग्निहोत्री निवासी ग्राम व पो0 पडुरा करहल जिला मैंनपुरी	सदस्य	शिक्षक
9. पूनम पाण्डेय पुत्री श्री बृजेश पाण्डेय निवासी जी0टी0रोड रेलवे कासिंग भोगॉव, मैंनपुरी	सदस्य	गृहणी

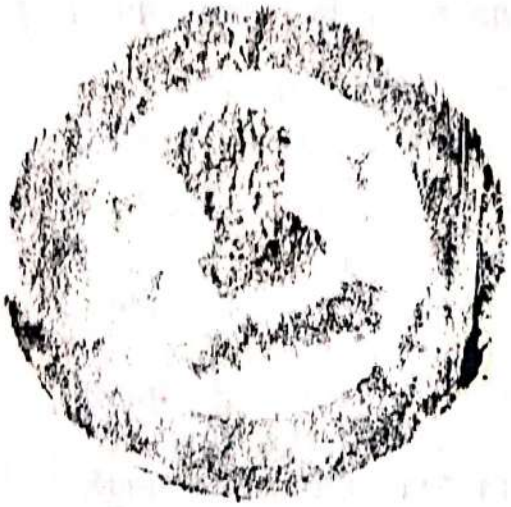
कमशः— 4 पर

B. K. Pandey

CamScanner

उपकोषागार अधिकारी
09/03
-3 DEC 2012
उप कोषागार अधिकारी
पेण्ड्रारोड

5937 Sd 3 12 2012





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 581933

ट्रस्ट के उद्देश्यः–

(1) युवक–युवतियों को उच्च तकनीकी एवं रोजगार परख शिक्षा प्रदान करना।

(2) समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना एवं उनकी सहायता करना।

(3) मानव कल्याण हेतु जनहित के कार्य करना एवं बृद्ध आश्रम व गौशालाओं का संचालन करना व सहायता प्रदान करना।

4– जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करनां तथा शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना तथा विद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थानों/डिग्री कालेजों/इन्जीनियरिंग/मेडीकल/आवासीय तकनीकि एवं कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, कम्प्यूटर युक्त आधुनिक शिक्षा पद्धति से करना उनका प्रबंधन एवं संचालन करना।

5– समय पर अन्य समाजसेवी जनहितकारी कार्य करना।

6– संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से अथवा निजी व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों से अनुदान/दान अथवा ऋण प्राप्त करना।

7. ट्रस्ट के विकास हेतु निर्धन, अनाथ एवं निर्बल वर्ग के नागरिकों, वृद्धजनों, विधवा/अनाथ महिलायें, निराश्रित अनाथ बच्चों, अपंग लोगो के कल्याण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, संगठनों के वित्तीय सहयोग/अनुदान/ऋण से चलायी जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना।

8. ट्रस्ट द्वारा व्यापार करना, उत्पादन करना, उद्योग–धन्धे आदि स्थापित करना उनके द्वारा की गयी आय का उपयोग ट्रस्ट द्वारा सामाजिक क्रिया कलापों में किया जायेगा। इस ट्रस्ट द्वारा संचालित के0एल0पाण्डेय एजूकेशनल एकाडमी जी0टी0 रोड रेलवे क्रासिंग भोगॉव जिला मैनपुरी के नाम जो भूमि निहित की गयी है। यदि किन्हीं कारणों से महाविद्यालय उपरोक्त नहीं चल पाता है तो महाविद्यालय के नाम की गयी भूमि स्वतः ही मुख्य ट्रस्टी के नाम आ जायेगी। तथा मुख्य ट्रस्टी को विद्यालय न चलने पर भूमि हस्तान्तरण करने का भी अधिकार होगा।

क्रमशः–5 पर

B.K.Pandey



7031 50 - 3127

उपजिलाधिकारी कार्यालय
09/03
26 NOV 2012
प्राप्त किया
पौड़ी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 581934

7. **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र**– सम्पूर्ण भारत वर्ष (आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है)

ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्यः–

1. ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन एवं दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खातों में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी। जो जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। उक्त धनराशि का लेन देन करने (बैंक खाता आपरेट के लिये) अध्यक्ष तथा प्रबन्धक/सचिव के हस्ताक्षरों से बैंक से धन निकाला जायेगा। इनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से भी धन निकाला जा सकेगा।

2–यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा कोई भी संस्था समाप्त होती है। ऐसी स्थिति में संस्था की चलं–अचंल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः ही निहित हो जाएगी।

8– **ट्रस्टियों की नियुक्तिः–**
सभी ट्रस्टी आजीवन इस ट्रस्ट के सदस्य रहेगें। किसी सदस्य की मृत्यु के उपरान्त उसके द्वारा नामित अथवा उसका उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें।

9– **संचालित संस्थाओं की प्रबंध समितियों के नामित सदस्य –**
ट्रस्टी द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थाओ जो ट्रस्टी द्वारा संचालित होगी की प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्य ट्रस्टी एवं अध्यक्ष द्वारा ही बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित किया जायेगा ।

10– **ट्रस्टी प्रमुखः–**
श्री ब्रजेश पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री के0एल0 पाण्डेय नि0 जी0टी0 रोड़ रेलवे क्रासिंग भोगॉव तहसील भोगॉव, जिला मैनपुरी

11– **ट्रस्टियों की संख्याः–**
ट्रस्टियों की संख्या मुख्य ट्रस्टी को मिलाकर 09 (नौ) होगी।

12. **ट्रस्ट की बैठक :–**
ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी।

क्रमशः– 6पर

B.K Pandey

00/03
26 NOV 2019

7032 50/- 3-11-22

CamScanner



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AC 581935

13. मुख्य ट्रस्टी के अधिकार :–

मुख्य ट्रस्टी को महाविद्यालय के प्रबन्धन के पूरे अधिकार होगे। तथा मुख्य ट्रस्टी संस्था का आजीवन मुख्य ट्रस्टी रहेगा। मुख्य ट्रस्टी की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी नामित मुख्य ट्रस्टी होगा किसी सदस्य को हटाने का अधिकार 2/3 सदस्यों की सहमति लेकर मुख्य ट्रस्टी को होगा।

14. गणपूर्ति :–

बैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 पदाधिकारी होना आवश्यक होगें।

15. ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष– मीटिंग बुलाने के लिये निर्देश देगा। सचिव/प्रबन्धक के साथ संयुक्त रूप से प्रबन्ध समिति का गठन करेगा। उपप्रबन्धक प्रबन्धक की गैर मौजूदगी में प्रबन्धक का कार्य सम्भालेगा व कोषाध्यक्ष अपने पद की व्यवस्था देखेगा। व आडीटर वर्ष में एक बार समस्त लेखा जोखा देखेगा।

16. प्रवन्धक/सचिव–

ट्रस्ट की ओर से सरकार के पत्राचार करेगा, मीटिंग बुलायेगा, तथा सदस्य को डाक द्वारा सूचना देगा या लिखित कार्यवाही रजिस्टर द्वारा सूचना देगा। मीटिंग की कार्यवाही लिखवायेगा तथा प्रतिनिधित्व करेगा। तथा प्रमुख ट्रस्टी यदि उचित समझेगा तो बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित किया करेगा।

17. संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठनः–

विद्यालय/महाविद्यालय की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य निर्धारित

क्रमशः–7पर

B.K. Pandey

7033 50/- 3/12

25 NOV 2019



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 581936

प्रबन्धकीय योजना (उच्च शिक्षा) के अनुरूप होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाएं विद्यालयों/महाविद्यालयों के संचालन के लिये प्रबन्ध समिति को गठन ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा ही किया जावेगा आवश्यकता पड़ने पर बाहरी सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी की इजाजत लेना आवश्यक होगा।

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय में निम्न पदाधिकारी होगें :–

1.	अध्यक्ष	:	एक
2.	उपाध्यक्ष	:	एक
3.	प्रबन्धक/सचिव	:	एक
4.	उपप्रबन्धक/उप सचिव	:	एक
5.	कोषाध्यक्ष	:	एक
6.	सदस्य	:	चार

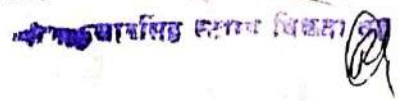
उपरोक्त ट्रस्ट का गठन दिनांक 05.12.2012 को हुआ।

B. K. Pandey

CamScanner

00/03
26 NOV 2012

7034 501 - 3121





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 581937

(8)

मुख्य ट्रस्टी आजीवन होगा उसका कभी कोई चुनाव नहीं होगा।

यह कि यदि उक्त ट्रस्ट की बाबत् भविष्य में कभी भी कोई विवाद होता है तो उस विवाद को आपसी सहमति से निपटाया जायेगा निपटारा न होने की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी का निर्णय अन्तिम होगा।

भविष्य में कभी कानूनी प्रक्रिया हेतु ट्रस्ट का ज्यूटीडिक्सन मैनपुरी ही होगा।

ड्राफ्टकर्ता : राजेश पाण्डेय एडवोकेट, तहसील भोगॉव, मैनपुरी। R. Pandey Adv.

टाइपकर्ता : राजीव कुमार भटनागर, दीक्षित मार्केट भोगॉव, मैनपुरी।

अतः यह ट्रस्ट मुख्य ट्रस्टी द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकायें व सिखाये व बिना किसी नाजायज दवाव के अपने पूर्ण होश हवास में परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

ता0 तहरीर 05.12.2012

B K Pandey

गवाह :– प्रशान्त कुमार तिवारी S/O रमेश चन्द्र तिवारी नि० रेलवे स्टेशन

गवाह :– मंगल पाण्डेय S/O राजेश पाण्डेय एड० R/O टेलवे फाटक पी.डी. टेड भोगॉव जनपद - मैनपुरी

7035 50/- 3.12.12



